



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

ऑगर फिलर / कप फिलर आटोमेटिक पैकिंग मशीनों से पैकिंग के
समस्त कार्यों को प्रतितन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 23.07.2019

महा प्रबंधक
(पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./एसआरएलएम/2019-20/

दिनांक 10.07.2019

निविदा सूचना

निगम द्वारा निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निम्न कार्यों को ठेका पद्धति पर कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

- (1) ऑगर फिलर/कप फिलर ऑटोमेटिक मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों हेतु,
- (2) 2 लाख किलो कैलोरी के थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर करने हेतु,
- (3) लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करने हेतु ।
- (4) हाउस कीपिंग कार्य
- (5) सुरक्षा व्यवस्था का कार्य

विस्तृत निविदा एवं निविदा शर्तों का अवलोकन website-www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है । निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in से दिनांक 23.07.2019 तक अपरान्ह 1.00 बजे तक क्य किए जा सकेंगे एवं इसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे जिन्हें दिनांक 24.07.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे खोला जाएगा । निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किए जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा ।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./एसआरएलएम/2019-20/

दिनांक 10.07.2019

विस्तृत निविदा सूचना

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत विभिन्न जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं होशंगाबाद) में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2020 तक के लिए एवं निगम के बाड़ी (रायसेन) में स्थापित संयंत्र हेतु दिनांक 31.03.2020 तक एवं आगे के लिये जिनकी क्षमता निम्नानुसार है:-

क्र	स्थान का नाम	कुल स्थापित क्षमता (मी टन)	उत्पादित की जाने वाली सामग्री
01	देवास, धार सागर, मण्डला, शिवपुरी, रीवा	2,500	1680 मी.टन पावडर, 420 मी.टन खिचड़ी
02	बाड़ी संयंत्र	1600	1200 मी.टन पावडर, 400 मी.टन खिचड़ी
03	होशंगाबाद	600	400 मी.टन पावडर, 200 मी.टन खिचड़ी

में निम्न कार्यो को ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	स्थान	निविदा प्रपत्र राशि (रु. में) जीएसटी सहित	संकल्प धनराशि (रु. में) *	
				5	6
1	2	3	4	5	6
01	ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्य प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करना	मण्डला, सागर, रीवा, होशंगाबाद (द्वितीय आमंत्रण), बाड़ी (प्रथम आमंत्रण)	5,900/-	2,00,000/-	(क्रमांक 1 एवं 2 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रु 47000/- एवं क्रं 3 हेतु 12000/-)
02	2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख-रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर करना (केवल पाउडर हेतु)	देवास, धार, मण्डला, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं होशंगाबाद (द्वितीय आमंत्रण), बाड़ी (प्रथम आमंत्रण)	5,900/-	78,000/-	क्रमांक 1 एवं 2 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रु 10000/- एवं क्रं 3 हेतु 8000/-
03	लोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना एवं अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना	मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा, (द्वितीय आमंत्रण), बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/-	1,20,000/-	क्रमांक 1 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रु 30000/-

* संकल्प धन राशि प्रत्येक संयंत्र हेतु कालम 6 के अनुसार निर्धारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को उपरोक्त कालम 5 में दर्शाए अनुसार पूर्ण राशि जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन संयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।

उपरोक्त समस्त कार्यो हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र तैयार किए गए हैं। इच्छुक निविदाकार जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 23.07.2019 तक अपरान्ह 1.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे जिन्हें दिनांक 24.07.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे खोला जाएगा। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत विभिन्न जिलों (मण्डला, सागर, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2020 तक के लिए एवं निगम के बाड़ी (रायसेन) में स्थापित संयंत्र हेतु दिनांक 31.03.2020 तक एवं आगे के लिये ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिदिन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु (इसमें आगे चलकर पैकिंग कार्य कहा गया है)

निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

ऑन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रु 5,900.00 (GST सहित)
ऑन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 11.07.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे से 23.07.2019 अपरान्ह 1.00 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	रु 2,00,000 (रु दो लाख मात्र) का आन लाईन भुगतान www.mptenders.gov.in पर दिनांक 11.07.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे से 23.07.2019 अपरान्ह 1.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 11.07.2019 अपरान्ह 2.00 बजे से 23.07.2019 अपरान्ह 1.00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 17.07.2019 अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में होगी । सुझाव/आपत्ति दि० 16.07.2019 तक मान्य
निविदा पत्र (हार्डकापी में) टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 23.07.2019 अपरान्ह 2.00 बजे तक
ऑनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि० 24.07.2019 अपरान्ह 1.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं Website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई-मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट— उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की Website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत विभिन्न जिलों (मण्डला, सागर, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2020 तक के लिए एवं निगम के बाड़ी (रायसेन) में स्थापित संयंत्र हेतु दिनांक 31.03.2020 तक एवं आगे के लिये स्थापित संयंत्र पर ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 20 पृष्ठ निम्नानुसार है:-

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची -1	6-7
2	सामान्य जानकारी, कार्य का स्वरूप, सामान्य शर्तें	अनुसूची -2	8-17
3	घोषणा पत्र	अनुसूची -3	18
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 4)	अनुसूची -4	19
5	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची -5	20

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ-

●	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
●	संयंत्र	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत स्व-सहायता समूह के संगठनों द्वारा मण्डला, सागर, रीवा एवं होशंगाबाद में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्र निगम का बाड़ी (रायसेन) में स्थापित संयंत्र
●	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
●	पैकिंग कार्यकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर पैकिंग कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
●	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची -2 शर्त क्रं. 6 के अनुसार
●	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची -2 शर्त क्रं. 12 के अनुसार
●	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
●	महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)
●	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल
●	संयंत्र प्रभारी	म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं निगम द्वारा स्थापित पोषण आहार संयंत्रों के प्रभारी
●	विभाग/ फोरम	म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

पोषण आहार संयंत्र में ऑगर फिलर / कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय- पैकिंग कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

हमारे द्वारा पोषण आहार संयंत्रों में पैकिंग का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / अन्य
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
3	निविदा प्रस्तुत करने / हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्र० फैक्स क्रमांक Email address
5	पैन नंबर
6	GST नंबर
7	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रु 5,900/-	To be Submitted Online
8	संकल्प धन राशि (EMD) रु 2,00,000 / मण्डला, सागर, रीवा एवं बाड़ी प्रत्येक संयंत्र हेतु एवं रु 47,000/- एवं होशंगाबाद संयंत्र हेतु 12000/- <i>उदाहरणार्थ यदि आपके द्वारा मण्डला सागर एवं बाड़ी संयंत्र हेतु तथा होशंगाबाद संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है तो राशि रु (47000X3 + 12000=1,53,000) की संकल्प धनराशि निगम में जमा रखी जावेगी एवं शेष राशि निविदाकार को वापस की जाएगी</i>	To be Submitted Online
9	ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (फोटो प्रति अपलोड करे) (अनुसूची-2 क्र 3.1.7 अनुसार)	
10	फर्म द्वारा किसी उद्योग में किए गए थर्मोपैक के संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि)	

	(अनुसूची-2 कं 3.1.4 अनुसार)	
11	फर्म का विगत तीन वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19) का टर्नओवर (अनुसूची-2 कं 3.1.5 अनुसार)	
12	फर्म में दिनांक 30.06.2019 को नियोजित कर्मियों, सुपरवाइजर का विवरण नाम, अनुभव वर्षों में, कंपनी जहां कार्य किया हो सहित। (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें कि सूची में उल्लेखित कर्मी 30.06.19 की स्थिति में नियोजित थे सत्यापित जानकारी मूलतः हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत की जाए)	
13	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1 से 20 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील सहित की फोटो प्रति अपलोड करे। वित्तीय निविदा (पृष्ठ क्रमांक 19) की फोटो प्रति अपलोड नहीं की जाना है।	

स्थान जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

कं	स्थान	EMD
1	2	3
1	मण्डला	
2	रीवा	
3	सागर	
4	होशंगाबाद	
5	बाड़ी (रायसेन)	
	कुल जमा की जाने वाली ई.एम.डी.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

नोट :-

- उपरोक्त सभी अपलोड किये गए दस्तावेजों की हार्ड कापी (चार्टर्ड एकडेंट के प्रमाण पत्र की मूल प्रति सहित) एक लिफाफे में रखे जाकर दिनांक 23.07.2019 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक दि. एम. पी. स्टेट एग्री इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. पंचानन भवन, मेजेनार्डन फ्लोर, मालवीय नगर, भोपाल के कार्यालय के उपलब्ध टेन्डर बाक्स में डाले जाना है।
- वित्तीय निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नहीं दी जाना है।



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com

01. सामान्य जानकारी

01. निगम द्वारा यह निविदा राज्य आजीविका फोरम हेतु स्थापित/स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों एवं बाड़ी में स्थापित संयंत्र में पैकिंग कार्य हेतु आमंत्रित की गई है, अतः ठेकेदार को फोरम एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। फोरम एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी द्वारा यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी निगम को दी जाती है तो निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार की धरोहर राशि को जप्त कर निगम के प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निगम एवं फोरम के माध्यम से काम करने से वंचित कर दिया जाएगा।
02. राज्य आजीविका फोरम जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, के जिला, मण्डला, रीवा, सागर में स्थापित 2500 मी.टन क्षमता के बाड़ी में स्थापित 1600 मी.टन क्षमता के तथा जिला होशंगाबाद में स्थापित 600 मी.टन क्षमता के पोषण आहार संयंत्रों में निर्मित पूरक पोषण आहार ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्य आवश्यकतानुसार 600, 625, 750 एवं 900 ग्राम के लेमिनेटेड फिल्म में पैक कर किया जाना है। पैक की जाने वाली सामग्री की मात्रा में परिवर्तन भी हो सकता है। बाड़ी संयंत्र निगम का स्वयं का है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संचालित है।
03. तीन राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर) को छोड़कर सभी दिवसों में कार्य किया जाएगा। अन्य अवकाश के संबंध में संयंत्र प्रभारी एक दिवस पूर्व जानकारी देंगे।

02. कार्य का स्वरूप –

01. 2500/1600 मी.टन के एक संयंत्र में पाउडर सामग्री की पैकिंग ऑगर फिल मशीन से (2 मशीन) व खिचड़ी की पैकिंग ऑगर/कप फिलर मशीन (1 मशीन) से किया जाना है। 600 मी.टन के संयंत्र में पाउडर सामग्री की पैकिंग ऑगर फिल मशीन से (1 मशीन) व खिचड़ी की पैकिंग ऑगर/कप फिलर मशीन (1 मशीन) से किया जाना है। पैकड पाउच पर पैकिंग मशीन पर स्थापित टी टी ओ प्रिंटर से बेच नंबर उत्पादन दिनांक, स्टेटिक बार कोड, इत्यादि प्रिंट किये जाना है।
02. दो प्रतिशत से अधिक पाउच की अस्वीकृति की दशा में (वजन के मान से कुल पैक किए हुए पाउच) खाली लेमीनेटेड पाउच की कीमत तथा उसे खाली करने पर हुए व्यय की कटौती ठेकेदार से की जाएगी।
03. उपलब्ध कराई गई लेमीनेटेड फिल्म को पैकिंग मशीन में अपलोड करना।
04. फिल्म के आई-मार्क को इस प्रकार सुनिश्चित करना कि वह टी.टी.ओ प्रिंटर से बेच नंबर, उत्पादन दिनांक, बार कोड /Q.R. code इत्यादि सही स्थान पर प्रिंट करे।
05. पाउच के लिए जो वजन निर्धारित है, उस सीमा के अंतर्गत प्रत्येक पाउच का वजन किया जाए।

06. निर्धारित वजन के पाउच को निर्धारित संख्या में एक बैग में भरना है तथा बैग का वजन करना है । बैग निर्धारित वजन कम होने पर स्टिचिंग मशीन से स्टिच कर बैग की सामग्रीवार स्टेगिंग करना है ।
07. प्रत्येक बैग का वजन रजिस्टर में अंकित करना है ।
08. प्रत्येक बैग पर बार कोड /Q.R. code के स्टीकर चिपकाना/सिलाई करना होगा ।
09. उत्पादित पूरक पोषण आहार हेतु उपयोग में लाई जा रही पैकिंग मशीनों का संचालन, दैनिक रखरखाव, साधारण खराबी होने पर उसे तत्काल ठीक करना, माह की आदेशित प्रदाय मात्रा का उत्पादन कार्य समाप्त होने पर मासिक संधारण कार्य किया जाना है ।
10. इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रानिक्स के उपकरणों के चालन एवं संधारण, मशीनों की एवं कार्य स्थल की साफ-सफाई सहित किया जाना है ।

03. सामान्य शर्तें

1 अर्हता –

- 3.1.1 निविदाकर्ता निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य, जो श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेंस धारक हो ।
- 3.1.2 निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना आवश्यक है ।
- 3.1.3 निविदाकर्ता के पास प्रत्येक संयंत्र में पैकिंग के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित में दक्ष कर्मी होना चाहिए ।
- 3.1.4 निविदाकर्ता के पास पैकिंग कार्य टेका पद्धति पर करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।
- 3.1.5 निविदाकर्ता फर्म का विगत तीन वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19,) का टर्नओवर का चाटर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र (मूल प्रति अपलोड करे) एक या एक से अधिक 2500 मी. टन क्षमता के संयंत्रों हेतु तीन वर्षों का न्यूनतम टर्न ओवर 60.00 लाख एवं प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 20.00 लाख, होशंगाबाद संयंत्र हेतु तीन वर्षों का न्यूनतम टर्न ओवर 25.00 लाख एवं प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 7.5 लाख)

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त टर्न ओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदाकार निविदा प्रस्तुत करे एवं जिस स्थान पर कार्य करना चाहते हैं, उस स्थान के समक्ष ही अनुसूची 4 में दरें प्रस्तुत करें । यदि यह पाया जाता है कि टर्नओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदा प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसी निविदा को विचार क्षेत्र में न लेते हुए निरस्त कर दिया जाएगा ।

- 3.1.6 निविदाकर्ता जी.एस.टी. नंबर धारक हो ।
- 3.1.7 ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धारक हो । (यदि सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सील एवं हस्ताक्षर सहित पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह पैकिंग के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित नियमानुसार स्वीकृत किए जाने की दशा में उपरोक्त प्रमाणपत्र कार्य स्वीकृत करने की दिनांक से 10 दिवस में प्रस्तुत करेगा)
- 3.1.8 क्रमांक 3.1.1 से 3.1.6 तक के स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा क्रमांक 3.1.7 का यदि आवश्यक हो तो वचन पत्र प्रस्तुत करें ।

04. आनलाईन निविदा पत्र की प्राप्ती-

- 4.1 निविदा पत्र निगम की वेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु दिनांक 11.07.2019 अपरान्ह 2.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Digital Signature है, वे निविदा पत्र का क्रय www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 11.07.2019 अपरान्ह 2.00 बजे से 23.07.2019 अपरान्ह 1.00 बजे तक किया जा सकता है।
- 4.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज ऑन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रु 5000+GST = 5900 ऑन लाईन जमा कराना आवश्यक है।
- 4.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी। निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी।
- 4.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।
5. **प्री बिड मीटिंग-** निविदा के संबंध में दिनांक 17.07.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल के कक्ष में आयोजित होगी। संभावित निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव दिनांक 16.07.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेंगी, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदापत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भलीभांती परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे।

06. संकल्प धन राशि (EMD) -

- 6.1 निविदा के साथ संकल्प धनराशि का भुगतान ऑन लाईन किया जाना आवश्यक है एवं विवरण पृष्ठ क्रमांक 7 पर दिया जाना आवश्यक है। बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र०	संयंत्र की संख्या	EMD
1	2	3
1	2500 मी.टन क्षमता का एक	47,000.00
2	2500 मी.टन क्षमता का दो	94,000.00
3	2500 मी.टन क्षमता का तीन	1,41,000.00
4	2500 मी.टन क्षमता का चार	1,88,000.00
5	600 मी.टन क्षमता का एक	12,000.00

गणना हेतु अनुसूची क्रमांक -1 का क्रमांक - 8 देखें।

संकल्प धन राशि प्रत्येक संयंत्र हेतु कालम 3 के अनुसार निर्धारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को चरों संयंत्रों हेतु आवश्यक पूर्ण राशि रु 20,0000 जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन संयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।

6.2 संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
 2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
 3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
 4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में।
 5. निविदा पत्र की शर्त कं 4.3 में वर्णित दशा में।
- अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की संकल्प धनराशि mptenders.gov.in द्वारा आनलाईन वापस संबंधित बैंक खाते में वापस की जावेगी। संकल्प धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

7. निविदा प्रस्तुत किया जाना -

- 7.1 ऑनलाईन निविदा दिनांक 19.07.2019 अपरान्ह 2.00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।
- 7.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय ऑफर www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर लें। www.mptenders.gov.in की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।
- 7.3 निम्नानुसार दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है—
 1. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
 2. शर्त कं 6.1 के अनुसार संकल्प धनराशि ऑन लाईन जमा करने संबंधी विवरण
 3. शर्त कं 3.1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
 4. शर्त कं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 5. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
 6. अनुसूची क्रमांक-3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र की स्कैन की गई प्रति।
 7. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
 8. अनुसूची कं 5 में अनुबंध प्रारूप
 9. अनुसूची कं 4 में वित्तीय आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 8 तक के दस्तावेज (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर—वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है) के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत स्कैन करते हुये JPG या PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्कैन किये गये दस्तावेज पठनीय हों।

7.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर) दिनांक 23.07.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में “पोषण आहार संयंत्र में ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु निविदा—तकनीकी विवरण” लिखा जावे —“तकनीकी विवरण” लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है। लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण –

1. शर्त क्रं 4.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 5900/- ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण।
2. शर्त क्रं 6.1 के अनुसार संकल्प राशि ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण।
3. अनुसूची क्रमांक-3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र।
4. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
5. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
6. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित (पृष्ठ क्रं. 1 से 21 तक) (पृष्ठ क्रमांक 19 को छोड़कर)
7. शर्त क्रं 3.1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
8. शर्त क्रं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र

अनुसूची-5 अनुबंध प्रारूप पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है।

लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में “पोषण आहार संयंत्र में ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु निविदा तकनीकी विवरण” लिखा जावे।

8. निविदा खोला जाना—

- 8.1 ऑनलाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 24.07.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में

- अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।
- 8.2 ऑनलाईन/लिफाफा में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।
- 8.3 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं तथा शर्त क्रं 7.4 के अनुसार हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत की जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा ।
- 8.4 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई-मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

9. दर प्रस्तुत करना –

- 9.1 पैकिंग कार्य हेतु प्रति मी. टन के आधार पर नियत स्लेब में प्रतिटन के आधार पर दरें दी जाना हैं। दरों में GST शामिल नहीं होगा, इसे अलग से दर्शाया जाये ।
- 9.2 दर अनुसूची क्रमांक 4 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय एवं वर्तमान में लागू सभी कर सम्मिलित रहेंगे ।
- 9.3 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।
- 9.4 दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में न्यूनतम दर को मान्य किया जायेगा ।
- 9.5 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुसंशित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को दें, उनके द्वारा प्रति प्रस्ताव अमान्य करने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को प्रति प्रस्ताव दिया जा सकेगा तथा उनके द्वारा भी अमान्य करने पर निविदा को पूर्णतः निरस्त कर पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी ।

10. निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध –

- 10.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे ।
- 10.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी ।
- 10.3 प्रबंध संचालक द्वारा कड़िका क्रं 9.5 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये दरों का निर्धारण किया जावेगा ।
- 10.4 उक्तानुसार कड़िका 9.1 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये

- 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची-5 अनुसार राशि रु 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।
- 10.5 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा।
- 10.6 उक्तानुसार कडिंका कं 10.5 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता को देते हुये अनुबंध कर कार्य का आवंटन कर सकेंगे। द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता द्वारा सहमत न होने की दशा में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।
- 10.7 चूंकि समस्त पैकिंग कार्य एक निश्चित समय सीमा में निष्पादित करना आवश्यक है, अतः निगम प्राप्त न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता से उनकी सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित कर सकेगा तथा प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा 2 दिवस में कार्य न करने पर ऐसे अनुबंधित निविदाकर्ता से कार्य करवा सकेगा अथवा शर्त कं 10.6 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

11 अनुबंध –

- 11.1 अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता कहलाएंगे।
- 11.2 निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में **अनुसूची-5** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु निविदाकर्ता को 10 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- 11.3 मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत विभिन्न जिलों में अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2020 तक प्रभावशील रहेगी तथा बाड़ी संयंत्र हेतु अनुबंध 31.03.2020 तक अथवा आगे की अवधि तक अर्थात् जब तक नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों का अनुबंध न हो, तब तक प्रभावशील रहेंगी।
- 11.4 अनुबंध होने के उपरांत पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता द्वारा पैकिंग कार्य का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

12. धरोहर राशि-

- 12.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।
- 12.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने

की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के परिवहनकर्ता को वापस की जावेगी।

12.3 धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है—

01. पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
02. पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में।
03. निविदा पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में।

13 दायित्व एवं तकनीकी जानकारी –

मासिक संधारण

- 13.1 पृष्ठ क्रं 3 में दर्शित संयंत्र की उत्पादन क्षमता उनकी स्थापित उत्पादन क्षमता है। विभाग की मांग के आधार पर उत्पादन किया जावेगा जो उत्पादन से कम भी हो सकता है। ठेकेदार को वास्तविक कार्य के आधार पर पैकिंग के कार्य का भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम उत्पादन सीमा मान्य नहीं होगी।
- 13.2 ठेकेदार को पैकिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, वेईंग मशीन अन्य आवश्यक टूल्स, पैकिंग कार्य हेतु चालू हालत में सौंपे जाएंगे। इसके उपरान्त मशीन का संचालन ठेकेदार द्वारा इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियत व्यक्तियों से कराया जाएगा एवं उसके संचालन तथा रखरखाव का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा। संयंत्र प्रभारी द्वारा सिलाई धागा, आवश्यक स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य कन्ज्यूमेबिल उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 13.3 उक्तानुसार समस्त कार्य को संपादित करने हेतु पर्याप्त संख्या में अनुभवी आपरेटर/लेबर की व्यवस्था ठेकेदार करेंगे जिससे पैकिंग कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके।
- 13.4 ठेकेदार द्वारा उपरोक्त क्रमांक 13.2 अनुसार नियुक्त व्यक्तियों की सूची संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी।
- 13.5 ठेकेदार की असावधानी से यदि पैकिंग मशीन बन्द रहती है, पर्याप्त संख्या में आपरेटर/लेबर उपस्थित नहीं रहते हैं तथा पैकिंग कार्य नहीं हो पाता है तो फोरम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था से पैकिंग कार्य कराया जाएगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
- 13.6 मशीन के परिचालन से कार्य के दौरान यदि मशीन में कोई टूटफूट होती है/मशीन क्षतिग्रस्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल ठेकेदार द्वारा संयंत्र प्रभारी को दी जायेगी। संयंत्र प्रभारी यह निर्णय लेंगे कि टूटफूट ठेकेदार की असावधानी से हुई है या सामान्य रूप से हुई है। यदि ठेकेदार की असावधानी से पैकिंग मशीन में कोई टूटफूट होती है तो उसके सुधार पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जायेगी।
- 13.7 यदि संयंत्र प्रभारी को महसूस होता है कि ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति /व्यक्तियों से संयंत्र में कार्य कराना फोरम के हित में नहीं है तो ठेकेदार

को उन्हें तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियोजित करना होगा।

- 13.8 अनुबंध अवधि में फोरम के संयंत्र में उत्पादन बंद होने पर या उत्पादन में कमी होने की दशा में ठेकेदार को स्थापना/लेबर पेमेन्ट संबंधी किसी भी हानि का उत्तरदायित्व फोरम का नहीं होगा।
- 13.9 ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह पैकिंग मशीन का उचित प्रकार से रखरखाव करे एवं संयंत्र प्रभारी को इससे अवगत कराते रहे तथा उनसे निरीक्षण कराते रहे।
- 13.10 ठेकेदार (अनुबंधकर्ता) को समस्त शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके द्वारा पैकिंग कार्य हेतु नियोजित आपरेटर/लेबर्स को ईपीएफ, ईएसआई का निर्धारित अंशदान भुगतान कर नियोजित आपरेटर/लेबर्सों से उनका अंशदान प्राप्त कर संबंधित विभागों में जमा करा कर उसकी रसीद इत्यादि संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। इसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान फोरम द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 13.11 यदि ठेकेदार द्वारा श्रम अधिनियमों में एवं लागू अन्य अधिनियमों का पालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा फोरम द्वारा देय राशि में से विभागों को देय राशि काटी जा कर संबंधित विभाग को भुगतान की जायेगी, जिस पर ठेकेदार को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 13.12 ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की सुरक्षा तथा देनदारियों का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या अन्य स्थिति में ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए आपरेटर/लेबर्सों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के किसी भी क्लेम के विरुद्ध भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा।
- 13.13 ठेकेदार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में फोरम के नियोजन में नहीं माने जायेंगे तथा ऐसे व्यक्तियों के नियमानुसार सभी प्रकार के दायित्वों के लिए ठेकेदार सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 13.14 ठेकेदार का दायित्व है कि वह शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर भुगतान उसके द्वारा नियोजित आपरेटरों/लेबर्सों को करें। किसी भी विवाद/शासन के नियमों के उल्लंघन की दशा में उत्पन्न वैधानिक स्थिति के लिए फोरम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 13.15 ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों/गलतियों के कारण या ठेकेदार के कार्यों/गलतियों के कारण फोरम को हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
- 13.16 ठेकेदार अपने दायित्वों को पूरा करने के दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगटीकरण नहीं करेगा तथा हमेशा उसे गोपनीय रखेगा।
- 13.17 ठेके की अवधि की समाप्ति के पश्चात ठेकेदार संयंत्र से प्राप्त सभी सामग्रियां उसी स्थिति में जिसमें उसे प्राप्त हुई हैं, संयंत्र को वापस करेगा। किसी भी कमीबेशी/खराब सामग्री की राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
- 13.18 ठेकेदार निम्न के संबंध में फोरम के पक्ष में बीमा कराएगा एवं उसे कार्य अवधि में लागू रखेगा:—
 - कार्य के निष्पादन के दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा।

- कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा।
 - लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।
- 13.19 ठेकेदार द्वारा पूर्ण पैकिंग कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों की सूची संयंत्र प्रभारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
- 13.20 ठेकेदार द्वारा पूर्ण पैकिंग कार्य में नियोजित किए गए कर्मचारी, ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में फोरम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही वे किसी भी प्रकार से फोरम के कर्मचारी माने जाएंगे।
- 14 **भुगतान**
- 14.1 पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह अनुबंधित दर अनुसार विधिवत तीन प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किये जावेंगे।
- 14.2 देयक प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- 14.3 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता का रहेगा, इस आधार पर पैकिंग कार्य नहीं रोका जायेगा।
- 14.4 किसी भी प्रकार की कटौती का निर्णय होने की दशा में पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती संयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।
- 15 किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- 16 निगम के प्रबंध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
- 17 Force majeure clause लागू रहेंगे जिसका निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगे।
- 18 विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा। उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगे। आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)



दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

पैकिंग का कार्य करने हेतु घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पोषण आहार संयंत्र/संयंत्रों में पैकिंग का कार्य पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदनुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रु प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदनुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

**THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION
LIMITED**

FINANCIAL BID

**FOR PACKING OF POWDER AND GRAIN RECIPE THROUGH AUGER
BASE FARM FILL AND SEAL MACHINE ON CONTRACT BASIS**

The rate is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The rates should be quoted FOR ONE METRIC TON for the works mentioned at Sr. No. 1 and 13 of Annexure 2

Name of the Bidder'
Address
.....

SR	PLACE	RATE PER M.T.		
		RATE	GST	TOTAL
1	2	3	4	5(3+4)
2	MANDLA			
3	REWA			
4	SAGAR			
5	HOSHANGABAD			
6	BADI (RAISEN)			

Note: Rates mentioned in column no 3 will be considered for comparison purpose.

Signature of the Bidder along with seal

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स जिन्हें आगे "पैकर्स " कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित संयंत्रों पर पैकिंग का कार्य करने हेतु दिनांक को निविदा आमंत्रित की गई थी । पैकर्स द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें अनुबंध का हिस्सा हैं ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से ठेकेदार के ऑफर को मान्य / निगम की प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य करते हुए जिलों में स्थापित पोषण आहार संयंत्र में पैकिंग के कार्य को किये जाने हेतु अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :-

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. पैकर्स का सहमति पत्र
3. पैकर्स द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां
4. अनुबंध में सलग्न दर प्रपत्र

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

पैकिंग कार्य सेवा प्रदाता

1.

2.

(राशि रू 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)